



न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र. केम्प ^{उज्जैन} संसद भवन

R.M.
1-5-2016
05

१० रु० अपील 1073-II-LS

हजरत सुप्री अब्दुल रहमान पिता मोहम्मद कासीम
रजा कादरी उम्र 58 साल निवासी ग्राम खिलीपुरा
तहसील मंसौर के/0 जाकिर पिता अब्दुल रहमान
मो. नं. 9926738202- अपीलार्ड

बनाम

- ॥ 1॥ म. प्र. शासन तर्फे ग्राम वासी खिलीपुरा
- ॥ 2॥ सरपंच ग्राम पंचायत खिलीपुरा
- ॥ 3॥ सचिव ग्राम पंचायत खिलीपुरा तह. व जिला मंसौर— रिस्पॉण्डेंटगण

द्वितीय अपील अन्तर्गत नियम 3 म. प्र. पंचायत ॥ अपील एवं पुनरिहसाम ॥ नियम 1955.

क्रमांक 5296
रजिस्टर्ड पारो आऊ
वि. नं. 11.5.15
द. नं. ००५
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन केम्प मंसौर के द्वारा प्रकरण 225/11-12 अपील हजरत सुप्री अब्दुल रहमान बनाम म. प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 11-12-14 आदेश से कुछो होकर यह अपील नकल के दिन मुजरा करते हुये समय अवधि में न्याय निर्णय हेतु प्रस्तुत है :-

उक्त अपील न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला मंसौर रु १० रु० 187/बी-121/2004-05 में पारित आदेश दि० 10-1-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।

माननीय महोदय,

अपीलार्ड को ओर से अपील निम्नवत् पेश है :-

// अपील के आधार //

॥ 1॥ यह कि रिस्पॉण्डेंट क्रमांक 1 के द्वारा एक शिक्षायती आवेदन पत्र रिस्पॉण्डेंट क्रमांक 2 व 3 के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर साहब के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि रिस्पॉण्डेंट क्रमांक 2 के द्वारा अवैध रूप से रुपये लेकर शासकीय जमीन पर प्लाटों का आवंटन कर रहीं है तथा तत्कालीन सरपंच

-2

A 1073-II/15 मन्त्रालय

16216

आवेदक की कोर वे
 सुचना उपरान्त कोर उपस्थित
 नहीं। समय समय पर लेख
 द्वारा लगाव है। कोर उपस्थित
 नहीं। आवेदक की अनुपस्थित
 के कारण प्रमाण असम
 में स्थापित किया गया है।
 प्रमाणित है।



 समय